न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ रविन्द्र गोस्वामी,आई.ए.एस

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
श्री राजुराम पुत्र रामचन्द्र जाति बंजारा भाट, निवासी गांधीनगर, तहसील आबूरोड		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड

प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम एवं धारा 151 सीपीसी

राजस्व वाद संख्या 10/2016

दिनांकः-23-01-2020

निर्णय

यहकि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा ग्राम कुंइ पटवार हल्का खडात तहसील आबूरोड में प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की खसरा नम्बर 628 रकबा 03.10 बीघा कृषि भूमि स्थित है। यह कि उपरोक्त कृषि भूमि पुश्तैनी होने से प्रार्थी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज है व कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर जीवन यापन कर रहा है। यह कि प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि को विकसित करने हेतु रकम की आवश्यकता होने से दिनांक 04.01.2016 को प्रार्थी अपने खाते से संबंधित नकल राजस्व रेकर्ड से प्राप्त करने हेतु पटवारी महोदय के पास गया तो पटवारी महोदय ने प्रार्थी को बताया कि उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पूर्वज (परदादा) बीजा जी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र समाजी के नाम के स्थान पर रूपा पुत्र बीजाजी दर्ज हो गया है एवं प्रार्थी के दादा समाजी की मृत्यु के बाद प्रार्थी के पिता रामचन्द्र पुत्र समाजी के नाम के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र चिमना दर्ज हो गया है तथा रामचन्द्र के स्थान पर नामान्तकरण संख्या 47 द्वारा सुन्दर पुत्र चमना दर्ज हो गया है और रामचन्द्र की मृत्यु के बाद नामान्तकरण संख्या 86 द्वारा प्रार्थी का नाम राजुराम पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर राजीया पुत्र सुन्दर भाट दर्ज हो गया है जिसे सुधरवाना आवश्यक है एवं उपरोक्त नामो की शुद्धि होने पर ही प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि पर ऋण प्राप्त हो सकेगा। यह कि इस प्रकार पटवारी महोदय से प्रार्थी को प्रथम बार दिनांक 04.01.2016 को जानकारी हुई कि उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में उसके दादा व पिता के जीवनकाल से नाम में त्रृटि आ रही है तथा प्रार्थी के वास्तविक नाम राजुराम पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर राजीया पुत्र सुन्दर भाट इन्द्राज हो गया है जो त्रृटि पूर्ण है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी पिता एवं दादा के नामो का गलत इन्द्राज हुआ है जो न्यायालय के आदेश से नहीं किया गया है। यदि उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्राथी पिता एवं दादा के नाम का शुद्धिकरण नहीं किया जाता है तो प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो जायेगा एवं उक्त कृषि भूमि को विकसित कर कृषि कार्य नहीं कर सकेगा जिससे उसके विधिक अधिकारों का हनन होगा। यह कि उपरोक्त कारण से प्रार्थी उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से इन्द्राज स्वंय का नाम राजीया पुत्र सुन्दर भाट के स्थान पर राजुराम पुत्र रामचन्द्र एवं उसके पिता सुन्दर पुत्र चमना के नाम के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र समाजी एवं प्रार्थी के दादा रूपा पुत्र बीजा जी के स्थान पर समाजी पुत्र बीजाजी दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। अतःउक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से इन्द्राज प्रार्थी के दादा का नाम रूपा पुत्र बीजाजी के स्थान पर समाजी पुत्र बीजाजी तथा प्रार्थी के पिता सुन्दर पुत्र चमना के नाम के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र समाजी दर्ज करावे साथ ही प्रार्थी के दादा की मृत्यु होने से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में से हटाया जावे एवं प्रार्थी स्वंय के नाम राजीया पुत्र सुन्दर भाट के स्थान पर राजुराम पुत्र रामचन्द्र राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु अप्रार्थी को अमल दरामद करने के आदेश प्रदान करवाने का कथन किया है।

हमने प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जो बाद तामिल प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये। अप्रार्थी का जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 05.12.2016 अनुसार मौजा कुई पटवार मण्डल खडात के खसरा नंबर 628 रकबा 3.10 बीघा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी 2069–72 मौजा कुई खाता संख्या 127 अनुसार रूपा पुत्र बीजा ,राजीया पुत्र सुन्दर भाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज है। मौके पर खसरा नंबर 628 रकबा 3.10 बीघा पर कैलाश कुमार, पुना राम, किशन लाल पि0 छगन लाल कौम बंजारा भाट सा0 कुई का कब्जा काश्त है। मौके पर उपस्थित मौतबिरान तुलसी पत्नी छगन लाल भाट ने बताया कि राजीया पुत्र सुन्दर भाट कुई ग्राम मे नही रहता है।

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

Scanned by CamScanner

हमने उभय पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया।

वस्तुतः धारा 136 एल आर एक्ट के तहत राजस्व अभिलेखों की त्रृटियों का शुद्धिकरण किया जाने का प्रावधान है, इस हेतु वादी को यह सिद्ध करना होगा, कि राजस्व अभिलेख में त्रृटि है। वर्तमान प्रकरण में वादी द्वारा किए गए कथनों के पक्ष में वादी ने किसी प्रकार का स्वीकार्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, साथ ही प्रस्तुत अभिलेखों से भी यथा 2069–2072, 2033–2036, 2036–2039 संवत की जमाबन्दीयाँ भी निर्बाध रूप से जारी रही। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि राजिया/सुन्दर भाट यहाँ नहीं पाया गया, लेकिन यह कहीं भी उल्लेखित अथवा प्रदर्शित नहीं किया गया कि उक्त राजिया/सुन्दर भाट वस्तुतः वादी राजुराम/रामचन्द है। अतः राजस्व अभिलेख को त्रृटिपूर्ण सिद्ध न कर पाने तथा स्वंय को वास्तविक खातेदार ना सिद्ध ना कर पाने के कारण वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 एल आर एक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 23/01/20 को से इजलास सुनाया गया।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर,आबूपर्वत
आबू-पर्वत

सहायक कलेक्टर आबूपर्वत (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Ravindra Goswami
Date: 2020.02.04 16:09:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: